राजस्थान सरकार

न्यायालय भू॰अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेड़ा जिला–भीलवाड़ा

(पीटासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)कैम्प निम्बाहेड़ा कलां

–: आदेश :–

प्रार्थी के खता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी निम्बाहेड़ा कलां व भू॰अ॰नि॰ रायला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निम्बाहेड़ा कलां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में खाता संख्या 14 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्ट को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जातें हैं:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	निम्बाहेड़ा कलां	14	उगमी बेवा मानाा	उगमी पत्नी मानाा

(रतनलाल रेगर)
पीटासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
भू॰अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेड़ा जिला – भीलवाड़ा

क्रमांक :– 763/17 दिनांक:– 14/7/17

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार बनेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री उगमी पत्नी मानाा को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

(रतनलाल रेगर)
पीटासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
भू॰अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेड़ा जिला – भीलवाड़ा